

②

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 ~~1.70~~ **1.53** तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारिकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे को निर्माण हेतु **1.53** हे० वन भूमि में प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।



Uttarakhand.

बि. वि. शा. राजप. कल्याण कोषिकार
पेठियाव.

वृष प्रभुगोविन्द वनाधिकारी (नं०)
हल्द्वानी वन प्रभु-२

प्रा. (क.)

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- ग्रामीय मुख्यमंत्री योजना के अन्तर्गत जगद नैनीताल में विद्यालय बना दोल लालपुर
के विद्यालय पर पहाड़ी पानी के बंधु भूगर्भ के किमी 0.008 (संख्या केवल) से किमी 0.008
आवासीय क्षेत्र का सुव्यवस्थापन पुनः निर्माण व सुव्यवस्थापन के लक्ष्य प्रकृति प्रकृति प्रकृति
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र 0.1.70 किमी मी

ग्राम पंचायत का नाम-

तहसील- लालकुआ जिला नैनीताल।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ~~विद्यालय पर पहाड़ी पानी~~ ~~आवासीय क्षेत्र~~
वासी ~~0.1.70 किमी मी~~ निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (1.530...हे0 आरक्षित वन भूमि,
सिविल सोयम भूमि...हे0, वन पंचायत भूमि...हे0) अर्थात् कुल 1.530...हे0 वन भूमि
का ~~आवासीय क्षेत्र~~ ~~वासी~~ संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन
मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ~~विद्यालय पर पहाड़ी पानी~~ दि 0.1.6-12-2014 को
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी, यह कि वन अधिकार
अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया
गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैरआदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना कि निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम
वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया
गया कि ग्राम ~~विद्यालय पर पहाड़ी पानी~~ (संख्या 0.008) के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि 1.530...हे0
प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत देवल देवल
दि 0.1.6-12-2014
ह0 ग्राम प्रधान

ह0 ग्राम प्रधान
दि 16.12.2014

ह0 ग्राम प्रधान
दि 16.12.2014

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार
उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव
के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनांक 16-12-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत..... विजयपुर (देवठा. प्र. २०११)

[illegible]

911-61-106

५० अक्षर-अक्षर

4/105

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[Handwritten signature]

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण सुखी नदी पर काजवे का निर्माण। (वास्तविक व्यं. 1.70 कि०मी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नैनीताल

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड, स्तरीय समिति,

उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सुखी नदी पर काजवे का निर्माण हेतु 1.575 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु शून्य है0 वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.575 है0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग, नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नैनीताल) बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री पंकज कुमार व्याख्यात उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

1. श्री पंकज कुमार व्याख्यात उप जिलाधिकारी अध्यक्ष
2. श्री सुकाशा झा उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
3. श्री रुद्रदेव राय टंडन सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव
4. श्रीमती बिबिता विष्ट बी0डी0सी0 हो. सदस्य